Ph: 0510-2471450
E-mail: conservatorjhansi@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0 झांसी

पत्रांक– 1598 /33–1 / दिनांक, झांसी, दिसम्बर, 18 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय– जनपद झांसी में झांसी–भगवन्तपुरा–मऊरानीपुर राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या–39 के कि0मी0 संख्या–01 से 04 तक वांयी पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा पेयजल पुनर्गठन योजना फेस–1 के अन्तर्गत पाईप लाईन विछाये जाने में प्रभावित 0.40 हे0 संरक्षित वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ– 1. आपका पत्रांक– 1214/11–सी–FP/UP/Water/47013/2020, दिनांक 23.11.2020।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी का पत्रांक–1761/15–1, दि0–17.12.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र दिनांक 23.11.2020 द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण करते हुये संशोधित अभिलेख/प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी नें अपने संदर्भित पत्र–1761/15–1, दि0–17.12.2020 द्वारा तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। मूल अभिलेख संस्तुति सहित संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– मूल अभिलेख तीन प्रतियों में।

भवदीय

(जी0पी0सिंह)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृ0सं0– 1598 / समदिनांक।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– श्री रोहित चौरसिया परियोजना प्रबन्धक, जल निगम, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि आप प्रकरण से भिज्ञ अधिकारी/कर्मचारी को इस कार्यालय से प्रस्ताव व पत्र प्राप्त कर नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय में प्राप्त कराने एवं प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

Received
18/12/2020

(जी0पी0सिंह)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

Dec._2020_sttl_2020

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 1761 /15–1 दिनांक, झांसी, दिसम्बर, 17 2020

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0 झांसी।

विषयः– जनपद झांसी में झांसी–भगवंतपुरा–मऊरानीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–39 के कि0मी0 संख्या–01 से 04 तक बांयी पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा नगर पेयजल पुर्नगठन योजना फेज–1 के अन्तर्गत पेयजल पाइप लाईन बिछाये जाने से प्रभावित 0.40 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन वन अनुभाग–2 का पत्रांक–पी–109/81–2–2020–800(122)/2020, दिनांक 23.11.2020 एवं परियोजना प्रबन्धक अतिरिक्त निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, झांसी के पत्र संख्या–912/W-1/306, दिनांक 16.12.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Water/47013/2020 में उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन वन अनुभाग–2, उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र से परीक्षणोंपरान्त लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण सहायक परियोजना अभियन्ता, अतिरिक्त निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, झांसी द्वारा संदर्भित पत्र से निराकरण कर प्रमाण पत्र संलग्न सहित बिन्दुवार निराकरण कर 03 प्रतियों में प्रस्तुत किया, जिसे संलग्न सहित संस्तुति के साथ निर्णारित प्रारूप में बिन्दु बार आख्या निराकरण कर अभिलेखों सहित निम्न प्रकार से प्रेषित है।

Observe No	Observation (GOI)	Reply
1	पार्ट–1 के बिन्दु संख्या–ए–1 (एक्स) में समय सीमा (अवधि) कुल 50 वर्ष हेतु प्रस्तावित है, जबकि प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या–43 पर रक्षित प्रमाण पत्र में 30 वर्ष अंकित है। समय अवधि में अन्तर क्यों है, स्पष्ट किया जाये।	पार्ट–1 के हार्ड कापी में बिन्दु संख्या–ए–1 (एक्स) में समय सीमा (अवधि) कुल 50 वर्ष के स्थान पर पुनः संशोधित हार्ड कापी ऑन लाईन सहित प्रमाणित कर 30 वर्ष की समय सीमा अंकित कर दी गयी है, तथा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–43 पर 30 वर्ष सही यथावत् अंकित है। अतः प्रस्तुत पार्ट–1 की हार्ड कापी में बिन्दु संख्या–ए–1 (एक्स) संलग्नक पृष्ठ सं0–11 से 14 तक पूर्ण संलग्न है।
2	परियोजना की अवधि के सम्बन्ध में भू–स्वामित्व वाले विभाग (लोक निर्माण विभाग) की सहमति प्राप्त है, अथवा नहीं, स्पष्ट करते हुये समय अवधि भी अंकित किया जाये।	परियोजना की अवधि के सम्बन्ध में भू–स्वामित्व वाले विभाग के अधिशाषी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग से सहमति प्राप्त की गयी है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–23 व 24 पर दोनो पत्र यथावत् संलग्न है एवं परियोजना प्रबन्धक द्वारा अपने सन्दर्भित पत्र से स्पष्ट किया है कि परियोजना अवधि के सम्बन्ध में लिखने का कोई प्राविधान नहीं है, इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग से परामर्श कर लिया गया है। क्योंकि उक्त मार्ग की पटरी भूमि पर पाइप लाइन बिछाने से मार्ग की संरक्षित वन भूमि प्रभावित होने के कारण उक्त मार्ग पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होता है, जिसके आधार पर परियोजना की अवधि 30 वर्ष स्पष्ट है। संलग्न सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रबन्धक अतिरिक्त निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, झांसी द्वारा संदर्भ पत्र से प्रस्तुत बिन्दुवार निरकारण करते हुये आख्या 03 प्रतियों में मूल में संस्तुति के साथ प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

बन्दो0
18/12/2020

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–1214/11–सी–FP/UP/Water/47013/2020, दिनांक 23.11.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि श्री रोहित चौरसिया, परियोजना प्रबन्धक अतिरिक्त निर्माण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, झांसी को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

CF Letter's_Van